INDIA

तीन रुपये

THREE RUPEES भारत

सत्यमेव जयते

NOTARIAL 50 FIFTY PAISE INDIA

NOTARIAL 2 RS भारत

CANCELLED

शपथ-पत्र

संस्था- भारतीय ग्रामीण क्षेत्र
ग्रामोद्योग विकास समिति-

शपथ पत्र निम्नांकित सुनीलदत्त पुत्र रामेश्वर दयाल, जाति- धानुक, निवासी- दुधौना, पोस्ट आफिस- जगतपुर, परगना- आलीपुर पट्टी, थाना व तहसील- भोगाँव, जनपद- मैनपुरी का निवासी हूँ। जो कि बहलफ बयान करता हूँ कि -

1 मैं शपथ पूर्वक बयान करता हूँ कि उक्त संस्था में मैं वर्तमान समय में कार्यरत हूँ।

2 शपथ पूर्वक बयान

NOTARY PRASAD MISHRA NOTARY 31-3-92

सुनीलदत्त सुनीलदत्त

2 Rs

INDIA

दो रुपये

सत्यमेव जयते

TWO RUPEES भारत TWO RUPEES

करता हूँ कि उक्त संस्था से
हमें कोई सिकवा सिकायत नहीं है।

(3) शपथ पूर्वक ब्यान करता हूँ कि उक्त संस्था के सर्वांगीण विकास में मैंने जो भी धन सहयोग दिया है वह मात्र दान रूप में योगदान दिया है।

(4) शपथ पूर्वक ब्यान करता हूँ कि उक्त संस्था के खिलाफ अगर कोई दीगर व्यक्ति मेरे खिलाफ सिकायत करता है उसे निराधार एवं निष्प्रभावी समझा जावे।

(5) शपथ पूर्वक ब्यान करता हूँ कि उक्त संस्था के विकास के लिए मैं तन, मन एवं धन से तत्पर तैयार हूँ और भविष्य में भी रहूँगा।

(6) शपथ पूर्वक ब्यान करता हूँ कि अगर मैं उक्त संस्था के खिलाफ अगर कोई गलत अफवाह फैलाता हूँ तो मुझे बिना वेतन के तुरन्त निष्कासित कर दिया जावे।

(7) शपथ पूर्वक ब्यान करता हूँ कि मैं उक्त संस्था के सम्पर्क में सीधे-2 अध्यक्ष जी द्वारा ही आया हूँ। अन्य किसी के द्वारा नहीं।

हलफ ब्यान किया कि शपथ पत्र के क्रमांक लगायत 1 से 7 तक मेरे निजी ज्ञान से सही एवं सत्य है। इसमें न कुछ झूठ है और न कुछ छिपाया गया है। ईश्वर मेरी मदद करे।

शपथकर्ता
उक्त

दि० 31/3/92

Identified

सुनीलदत्त

Solemnly Affirmed as dated 31-3-92 at ... by Sunil Dutt S/o Ramesh Chandra ... R. I. ...
Identified by ...
Jyoti ... Mishra
Notary ...
31-3-92

NOTARY ... PRASAD ...
31-3-92

एन.जी.ओ को हड़पने की साजिश करता एक और नटवरलाल

संवाददाता

एटा। भारतीय ग्रामीण क्षेत्र ग्रामोद्योग विकास समिति लोयाबादशाहपुर पोस्ट खास जनपद एटा को वीर सिंह नामक युवक ने कूट रचित कागजो द्वारा अपने आप को कार्यवाहक अध्यक्ष पद पर बैठा लिया जबकि वर्तमान अध्यक्ष को बीमार दिखाया गया है जो कि पूर्ण तया असत्य है, समिति के अध्यक्ष रामबाबू वर्मा ने कहा है कि भारतीय ग्रामीण क्षेत्र ग्रामोद्योग विकास समिति लोयाबादशाहपुर पोस्ट खास जनपद एटा द्वारा उ० प्र० सरकार के क्षेत्रीय सोसाइटी कार्यालय आगरा से दिनांक 06/01/1990 से (रजि०) है। इसके द्वारा प्रधान कार्यालय उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति / पिछड़ी जाति विकास संस्थान जवनरायन वर्मा रोड फतेहगढ, फरूखाबाद तथा संशोधित के तहत मुख्यालय उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति / पिछड़ी जाति विकास संस्थान जवनरायन वर्मा रोड फतेहगढ, फरूखाबाद में वर्ष (1991-92) से स्थित है। (अनुसूचित जाति विकास) की प्रस्तावित प्रस्तावों की पत्रावलीयों को सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार शास्त्री भवन नई दिल्ली में प्रेषित के तहत सचिव / संयुक्त सचिव / उपसचिव / अपर सचिव / अनुसचिव से न्याय न मिलने के कारण अध्यक्ष न्याय हेतु उच्च न्यायालय इलाहाबाद की शरण में जाकर वकील द्वारा प्रार्थना पत्र के तहत वर्ष (2019) में रिट याचिका सचिव एवं 3 अन्य के प्रति उच्च न्यायालय इलाहाबाद के ऑडर दिनांक 15/04/2019 एवं आडर दिनांक 05/08/2018 और आडर दिनांक 03/01/2020 में कंटम ऑफ कोर्ट के तहत और वीर सिंह नेता लोकल निवासी नरायनपुर पट्टी मण्डी फरूखाबाद के निकट तथा अराजक तत्वों द्वारा उच्च न्यायालय इलाहाबाद जाकर आनन्द कुमार त्रिपाठी वकील द्वारा आडर दिनांक 03/01/2020 की नकल प्रति निकलवा कर स्वयं तथा अराजक तत्वो द्वारा आडर पर 09/11/2020 और बीच में सेक्शन ग्राट 15 / 17 / सितम्बर तथा नीचे की तरफ सेक्शन

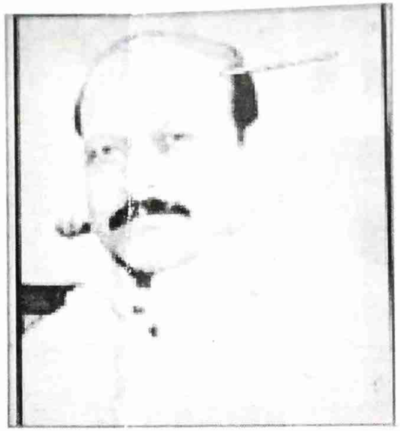

और उच्च न्यायालय इलाहाबाद की खण्ड पीठ न्यायालय लखनऊ अंकित किया है। इसकी जानकारी उक्त मंत्रालय / उच्चन्यायालय इलाहाबाद में पता लगवाया आडर दिनांक 03/01/2020 में अंक एवं शब्दों को फर्जी रूप से वीर सिंह नेता तथा अराजक तत्वों ने अंकित किया उच्च न्यायालय इलाहाबाद की अवहेलना की। इसकी सूचना वीर सिंह नेता में अपने मो०- 8765649892 से पूरनलाल दिवाकर के पुत्र जयचन्द्र के मो- 8368611138 पर भेजी वह सूचना अन्य के मोबाइल पर भेजी गयी समाज के शिक्षित युवको / युवतियों तथा अध्यक्ष को गुमराह करने हेतु / पूरनलाल दिवाकर के मो0-7565052050 से जानकारी की जाये। वीर सिंह नेता ने तथा अराजक तत्वों द्वारा 420 धोखाधड़ी के तहत बैठक कर उक्त कार्यालय पर बैठने तथा कार्य हेतु और अध्यक्ष को दो माह बीमार दिखाते हुए / फर्जी तरह से षडयंत्र रचकर कार्यवाही कर कारवाहक अध्यक्ष स्वयं बना, उक्त समिति में कोई सदस्य तथा किसी पद पर कार्यालय में भी नहीं है। वीर सिंह नेता यह बताएं अध्यक्ष का इलाज कोन से डाक्टर द्वारा बीमारी की दवाईयां दी है में अध्यक्ष स्वयं स्वास्थ है। कोई बीमारी नहीं है। मेरे साथ षडयंत्र रचा गया। इसने अमर उजाला अपना शहर फरूखाबाद से शुक्रवार दिनांक 11/12/2020 में उक्त समिति तथा अध्यक्ष के प्रति सूचना प्रकाशित कराई है। अध्यक्ष ने कार्यवाहक का अध्यक्ष द्वारा लिखित रूप से प्रमाण दिया है तो अध्यक्ष दोषी है वह प्रमाण पत्र दिखाए तथा जारी करें। नहीं तो आप दोषी है। समाज के शिक्षित युवाक / युवतियों एवं अस्थाई 85 दिन पर उक्त समिति में कार्य करने वाले गुमराह किया है। वीर सिंह नेता के विचार भ्रम गलत है। उ0 प्र0 में कार्यालय खोलकर कार्य करना कानून के विरुद्ध है। वीर सिंह नेता तथा अराजकतत्वों का ठगी का क्षेत्र फरूखाबाद, कन्नौज कानपुर, लखनऊ, उन्नाव, शाहजहाँपुर, बदायूं हरदोई, मुरादाबाद, कासगंज, मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, एटा, मैनपुरी, फिरोजाबाद, इलाहाबाद, चित्रकूट, फतेहपुर, कौशाम्बी, अलीगढ, मिर्जापुर, वाराणसी, मऊ, बाराबंकी, क्षेत्रो में समाज के शिक्षित युवकों, युवतियों को उक्त समिति के कार्यालयो में नौकरी लगवाने का प्रलोभन देकर लाखों रुपए से ठगी कर स्वयं हड़प जाते है। मेरठ -1, कासगंज -1, फरूखाबाद -5, मैनपुरी -2, वीर सिंह नेता स्वयं तथा साथी अराजक तत्वों को भलीभाँति जानता है। उच्च न्यायालय इलाहाबाद से आडर की प्रति न्याय मिलने पर उक्त मंत्रालय से वित्त पोषित होने पर मुख्यालय अलीगढ, आगरा आदि

उ० प्र० सरकार द्वारा (रजि०)
स्थापित वर्ष दिनाँक 06-01-1990 (1989-90)
पंजीयन सं. - 1427
कार्यक्षेत्र - उ०प्र० एवं भारत वर्ष
मो० 7060247221, 8979543106

कार्यालय अध्यक्ष समिति

भारतीय ग्रामीण क्षेत्र ग्रामोद्योग विकास समिति

लोयाबादशाहपुर, पोस्ट - खास, जनपद-एटा द्वारा संचालित

प्रधान - कार्यालय

उत्तर प्रदेश, अनुसूचित जाति / पिछड़ी जाति विकास संस्थान

जी.टी. रोड, बोरना निकट हाईवे चौराहा, पोस्ट-पनैठी, जनपद-अलीगढ़-202002 (उ.प्र.)

अध्यक्ष - आर० बी० वर्मा

पत्रांक 3368 दिनांक 25/4/019

सेवामें,

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक
जनपद अलीगढ

महोदय,

निवेदन है कि शिकायती प्रार्थना पत्र राम बाबू वर्मा पुत्र स्व.चिरौजी लाल वर्तमान पता- मकान न. 1/29एफ उमानगर अम्बेडकर कॉलोनी पीली कोठी बंद गली 3 थाना गाँधीपार्क के अंतर्गत हूँ। प्रार्थीने भारतीय ग्रामीणक्षेत्र ग्रामोद्‌योग विकास समिति लोयाबादशाहपुर पोस्ट ख़ास जनपद एटा द्वारा उपनिबंधक सोसायटी उत्तरप्रदेश आगरा से दिनांक06/01/1990से रजिस्टर्ड है। समिति का अध्यक्ष/ संस्थापक तथा73 वर्षीय वृद्ध हूँ।

1. समिति द्वारा संचालित प्रधान कार्यालय उत्तरप्रदेश अनुसूचित जाति/ पिछड़ी जाति विकास संस्थान जयनारायण वर्मा रोड, फतेहगढ़, फर्रुखाबाद में वर्ष (1991-92)31मार्च2015 तक कार्यालय स्थित रहा। अध्यक्ष की ससुराल होने के कारण प्रधान कार्यालय था।
2. अशोक कुमार गौतम पुत्र श्री तोताराम अनुसूचित जाति जाटव से संबंध है, निवासी पिवारी, थाना मारहरा जनपद एटा का भी है, वर्तमान पता पिवारी हॉउस निर्मला पैलेस न्यू स्टेट बैंक कॉलनी, केनरा बैंक वाली गली, थाना कोतवाली कासगंज में रहता है/ भूमिहींन रेखा का व्यक्ति है।
3. अशोककुमारगौतम को उक्त समिति के प्रधान कार्यालय पर प्रस्तावित प्रस्ताव के तहत अस्थायी रूप से 85 दिन हेतु महाप्रबंधक के पद पर रखा वर्ष (2000)में कार्यालय मे लगातार उपस्थित नहीं करता था।
4. अशोककुमारगौतम द्वारा 420 से धोखाधडी कर शिक्षित बेरोजगारों, युवकों/ युवकियो को नौकरी लगवाने के प्रलोभन देकर ठगी का कार्य तथा नेतागिरी कर रहा है। इसका पिता तोताराम ने अपनी सरकारी नोकरी, महिलाओं के प्रेम चक्कर मे आकर नोकरी संकट में डाल दी, इसका मकान एक करोड़ की सम्पति का है।
5. प्रधान कार्यालय का स्थानांतरण फतेहगढ फर्रुखाबाद अराजक तत्वों की वजह से05अप्रैल2015 में देवेश कुमार पुत्र निरोत्तम प्रसाद निवासी नगला मानसिंह पुरानी पुलिया के निकट थानागाँधीपार्क अलीगढ़ से सम्पर्क कर भवन स्वामी हुकम सिंह पुत्र स्व. बाबूसिंह निवासी धनीपुर थाना गाँधीपार्क अलीगढ़ के वैष्णों धाम के सामने एटा चूँगी अलीगढ़ में प्रधान कार्यालय स्थित करा दिया और चार कमरों का एग्रीमेंट शपथ पत्रों द्वारा एक वर्ष हेतु किया गया। अन्य वर्षों का कोई एग्रीमेंट नही किया गया न कोई रशीद नहीं दी गयी और वर्तमान समय में प्रधान कार्यालयमें लाखो रुपये का सामान मोजूद है। पूर्व वर्षों जैसे 2006व2009 में सूचना अराजक तत्वों के प्रति अखवार द्वारा करा चुका हूँ।

6. समिति की प्रस्तावित प्रस्तावों की पत्रावली सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार में शाष्त्री भवन नई दिल्ली के पत्र की पत्रांक 11020/55/2008 एस. सी. डी. ।।। दिनांक 23/06/2008 के अंतर्गत क्रम में विचाराधीन है।

7. अशोककुमारगौतम ने अध्यक्ष आर बी वर्मा से कहा मंत्रालय में पत्रावली विचारधीन है अपने रिश्तेदार आर.के. सुमन चीफ़ ऑडीटर के पद पर भारत सरकार में हैं, मेरे खानदानी साले है, उनको प्रपत्रों को दिखाकर उनके द्वारा कार्य करा दूँगा। अगर आप को मेरा विशवास हो तो, मुझे प्रस्तावों व सरकारी ज़ो पत्र आपको प्राप्त हुए उन की प्रतिभयँ देदो तो दिखाकर कार्य करवा दूंगा मंत्रालय से/ अशोक कुमार गौतम ने आर. के.सुमन से अपने मोबाइल नंबर 7017307261 से बात कराई/आर.के.सुमन का मोबाइल नंबर 8368468577/8487981839 पर बात की। अशोक कुमार गौतम ने कहा सुमन का खानदानी भाई महेंद्र पाल सिंह उर्फ टीटू पुत्र स्व. चेतराम पुलिस विभाग से सेवा निवृत्त निवासी कंकड़ खेड़ा पानी की टंकी के निकट आवास, मेरठ शहर में है, मेरा साला लगता है। हम दोनों आपका कार्य कराएंगे। अक्टूबर 2017 से कराने का विश्वास दिया।

8. अशोक कुमार गौतम ने अध्यक्ष से कहा समिति के सादा पैड व कुछ पैडों पर अपने हस्ताक्षरकर मोहर लगाकर तथा समिति की पाँच चैक देनी होंगी। मैंने अशोक कुमार गौतम का विश्वास किया। मुझ से 6000 रुपये भी लिए कार्य वास्ते थोड़े दिन बाद अर.के. सुमन ने कहा है कि कार्य हेतु धनराशि चाहिए। अशोक कुमार गौतम को 76000 हजार रूपये व 24000 हजार रुपये दिए कार्य वास्ते अशोक कुमार गौतम ने अपने मोबाइल से महेंद्र पाल सिंह उर्फ टीटू के मोबाइल नंबर 8791656414 पर बात कराई। मंत्रालय से पार्लियामेंट हाउस/ वित्त मंत्रालय/ कानून कार्मिक मंत्रालय से फाइल सुमन भाई पास कराकर, मंत्रालय में आकर, तब निगम बनेगा।

9. अशोककुमारगौतम व महेन्द्र पाल सिंह ने धोखा देकर विश्वासघात कर आर.के. सुमन के कहने पर समय समय पर धनराशि ली गई जिसकी सूची संलग्न है।

10. अशोक कुमार गौतम द्वारा अंग्रेजी भाषा में स्वयं मुझसे लिए पैड पर मितेश यादव आई.आर.ऐस.को पत्र की पत्रांक 1025 मी मो दिनांक18/08/2018 को प्रधान कार्यालय बाबूजी मार्केट में स्तिथ का निरीक्षण हेतु सूचना दी।

11. अशोक कुमार गौतम ने कई दलालों से सम्पर्क कराया जो आर.के. सुमन के सदस्य थे, मोबाइल पर भी बात चीत कराई, कहा मीतेश यादव व टीम के सदस्य आएंगे/ दिनांक 19/08/2018 को उसको एक लाख रूपये की व्यवस्था करनी होगी। अध्यक्ष ने 80000 रुपये व हुकम सिंह ने 20000 रुपये मिलाकर एक लाख रुपये आयुक्त कार्यालय गेस्ट हाउस अलीगढ़ में धोखाधडी के अंतर्गत किसी व्यक्ति का नाम लेकर स्वयं एक लाख रुपये अशोक कुमार गौतम ने रख लिए।

12. अशोक कुमार गौतम व हुकम सिंह की गाड़ी स्कार्पियो से दोनों साथी तहसील खैर से आगे गोमत चौराहा से निरीक्षण टीम को माला पहनाकर प्रधान कार्यालय पर शाम 6 बजकर 55 मिनट पर आये। प्रधान कार्यालय पर 7 बजकर 15 मिनट पर बैठकर अध्यक्ष से पूछताछ की तथा25 प्रस्तावित प्रस्ताव के अंतर्गत कर्मीयों से पूछताछ की गई। प्रधान कार्यालय का रजिस्टर सीज कर दिया, चार सदस्यों की टीम थी। निरीक्षण के दौरान थाना गाँधीपार्क के अधीन धनीपुर मंडी की चौकी इनचार्ज दीपक नागर भी आए, तो मुझे टीम के प्रति विश्वास हो गया। रात 9 बजे थाना बन्नादेवी के निकट क्लासिक होटल में कमरा बुक व खाने की व्यवस्था हुकम सिंह द्वारा कराई गयी,10000 किराया व खाने वास्ते दिये तथा अशोक कुमार गौतम ने हुकम सिंह से एक लाख रूपए टीम के अधिकारी को दिलाये, होटल से विदा किये। यह वाकया दिनांक 21/08/2018 का है।

13. अशोक कुमार गौतम से मितेश यादव कह कर गए है, सीज रजिस्टर तथा पत्रावली बनाकर मेरे कार्यालय नई दिल्ली लाना होगा तभी सीज हटा दी जाएगी। ₹100000 की व्यवस्था कर लाना होगा। मुझे अशोक

कुमार गौतम ने बताया हुकुम सिंह द्वारा ₹100000 की व्यवस्था कर अशोक कुमार गौतम के घर कासगंज पहुंचाए।

14. प्रार्थी को बहुत दिन बाद किसी प्रार्थी के द्वारा हिंदुस्तान अखबार द्वारा ज्ञात हुआ कि मितेश यादव फर्जी आई.आर.एस बन कर साथियों के साथ गाड़ी से थाना न्यू आगरा में दिनांक 27/08/2018 को नौकरी लगवाने वास्ते किसी से ₹27000 मौके पर पकड़े गए मितेश यादव से पूछताछ के तहत फर्जी व्यक्ति निकला उसे तथा साथियों को जेल आगरा भेज दिया गया अशोक कुमार गौतम ने जानबूझकर प्रधान कार्यालय का निरीक्षण दिनांक 21/08/2018 में कराया गया।

15. अशोक कुमार गौतम मुझे तथा मेरे दमाद अनिल कुमार को गाड़ी से 3:00 बज कर 45 मिनट पर शाम के वक्त लेमेरिडियनहोटल नई दिल्ली ले गया वहां पर मितेश यादव का साथी अनुरुद्ध शर्मा तथा महेंद्र पाल सिंह होटल में पहले से मौजूद थे दिनांक 31/08/2018 को अशोक कुमार गौतम व महेंद्र पाल सिंह तथा अनुरुद्ध शर्मा को बताया मितेश यादव टीम का सदस्य है होटल मेंमाज़ा पिलाया तथा मुझसे अशोक कुमार गौतम व महेंद्र पाल सिंह ने ₹300000 अनुरुद्ध शर्मा को दिलाए, मुझसे कहा आप अलीगढ़ वापस चले जाओ मैं कार्य कराने वास्ते रह जाऊंगा अनुरोध शर्मा को भली-भांति 4 वर्ष से जानता हूं मेरे कासगंज का रहने वाला है, कोई धोखाधड़ी नहीं होगी।

16. अशोक कुमार गौतम व महेंद्र पाल सिंह मेरे घर अलीगढ़ दिनांक 18 सितंबर 2018 को आए मितेश यादव 15 दिन के ट्रेनिंग पर केरला गए हैं, हम दोनो तथा मितेश यादव की टीम का साथी अनुरुद्ध शर्मा को साथ लेकर फाइल पर हस्ताक्षर करा लाऊंगा मुझे किराये वास्ते तथा खाने वास्ते ₹100000 की व्यवस्था कर मुझे दे दो तो शीघ्र जाकर कार्य करा लाऊंगा, अशोक कुमार गौतम को ₹100000 दिए उसी समय से अस्थाई कर्मी भी कार्यालय पर नहीं आते हैं। विश्वासघात कर समिति की छवि धूमिल कर दी धोखाधड़ी 420 तथा 429 आई.पी.सी. धारा के अंतर्गत दोनों सदस्यों ने 28 लाख ₹48000 का अध्यक्ष से ठगी कर हड़प गए हैं। आर.के. सुमन चीफ आडिटर भारत सरकार के अंतर्गत कार्य कियाहै। धनराशि मांगने पर मुझे जान से मारने की धमकी तथा अन्य से धमक वाया बच्चों के अपहरण का षड्यंत्र बनाने का प्रकरण प्रकाश में आया है, इनके सबूत मेरे पास मौजूद हैं हुकुम सिंह मोबाइल नंबर 70176 74525 देवेश कुमार मोबाइल नंबर 81716 88298 अशोक कुमार गौतम तथामहेंद्र पाल सिंह से जानकारी की जाए।

17. अशोक कुमार गौतम महेंद्र पाल सिंह का साथी राधेश्याम जयंत पुत्र स्व. रामसहाय निवासी मकान नंबर 3/54जंगबाज खां घोड़ा नक्कास पुलिस चौकी फर्रुखाबाद का रहने वाला तथा इनका सरगना व्यक्ति है, हाई कोर्ट से जमानत पर चल रहा है, अन्य केशो में वंधित है, समिति द्वारा संचालित प्रधान कार्यालय है। मण्डल कार्यालय/ जिला कार्यालय उत्तर प्रदेशमें कोई कार्यालय स्थापित नहीं है राधेश्याम जयंत/ अशोक कुमार गौतम ने इलाहाबाद, मिर्जापुर, बनारस, के फर्जी रूप से नियुक्ति पत्र दिए हैं और उन से ठगी भी की गई है।

18. राधेश्याम जयंत का ठगी क्षेत्र फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर नगर, फतेहपुर, कौशांबी, इलाहाबाद, मिर्जापुर, बनारस, बाराबंकी, लखनऊ, उन्नाव, हरदोई, शाहबाजपुर, बरेली, बदायूं, मैनपुरी, फिरोजाबाद, एटा, अलीगढ़, गौतम बुद्ध नगर (नोएडा), में सक्रिय कार्यकर्ता है तथा स्वय पुत्र जिसका नाम विजय जयंत है उससे भी वह कार्य कराता है, समिति में कोई सदस्य व अस्थाई रूप से कर्मी भी नहीं है।

19. अशोक कुमार गौतम स्वयं को अपरप्रबंध निदेशक मानकर कार्य करता है अध्यक्ष द्वारा कोई नियुक्ति पत्र भी नहीं है फर्जी रूप से कार्य करता है नौकरी लगवाने का झूँठा प्रलोभन देकर युवकों/ युवकियो को ठगता है।इन अराजक तत्वों कीबजह से बाबूजी मार्केट से प्रधान कार्यालय का स्थानांतरण जी.टी रोड बोरना निकट हाईवे चौराहा पोस्ट पनेठी, जनपद अलीगढ भवन स्वामी अतिपाल सिंह यादव पूर्व प्रमुख अकराबाद के भवनमें कार्यालय स्थित है।

20. मितेश यादव आई.आर.एस. फर्जी धारा के अंतर्गत सी.जे.एम. न्यायालय आगरा से नकल प्राप्त कर संलग्न की जा रही है।उक्तों की जांच की प्रार्थना की जा रही है जो धनराशि दी गई है वह वर्षों से चंदा दान समिति की व्यवस्था से थी।

अतः श्रीमान जी से प्रार्थना कर रहा हूँ उक्त शिकायत के क्रम बिंदुओं द्वारा कानूनी कार्रवाई करने की मांग वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जैसे कासगंज, एटा, फर्रुखाबाद आदि से की जा रही है। मुझे इन से जान माल का खतरा है मेरे प्रति कहीं किसी प्रकार की घटना घटती है तोउक्त जिम्मेदार होंगे।

संलग्न यथोपरी 9 प्रतियां

प्रार्थी
राम बाबू वर्मा
अध्यक्ष / पूर्व प्रधान

सेवा में, **सी.बी.सी.आई.डी. अधीक्षक**
पुलिस, सिविल लाइन
जनपद अलीगढ

सेवा में, **वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक**
मेरठ,एटा, फर्रुखाबाद, कासगंज

अध्यक्ष

प्रार्थी
राम बाबू वर्मा
अध्यक्ष / पूर्व प्रधान

अध्यक्ष

भारतीय ग्रामीण क्षेत्र ग्रामद्योग विकास समिति
द्वारा संचालित प्रधान कार्यालय
उत्तर प्रदेश अनु० जाति, पिछड़ी जाति विकास संस्थान
बाबूजी मार्केट, वैष्णो धाम के सामने, एटा चुंगी, जी.टी.
रोड़ अलीगढ़

उक्त कार्यालय का निरीक्षण दि० 21/08/2018 में
निरीक्षण टीम को अशोक कुमार गौतम व हुकमसिंह
द्वारा बुलाए गये।

1) हुकम सिंह दाँये पर खड़ा है।
2 अशोक कुमार गौतम बाँये पर खड़ा है।

कार्यालय पर 7:00 ... मिनट पर अध्यक्ष एवम्
25 अस्थाई कर्मियों का साक्षात्कार समय सांय 9:00
बजे तक किया।

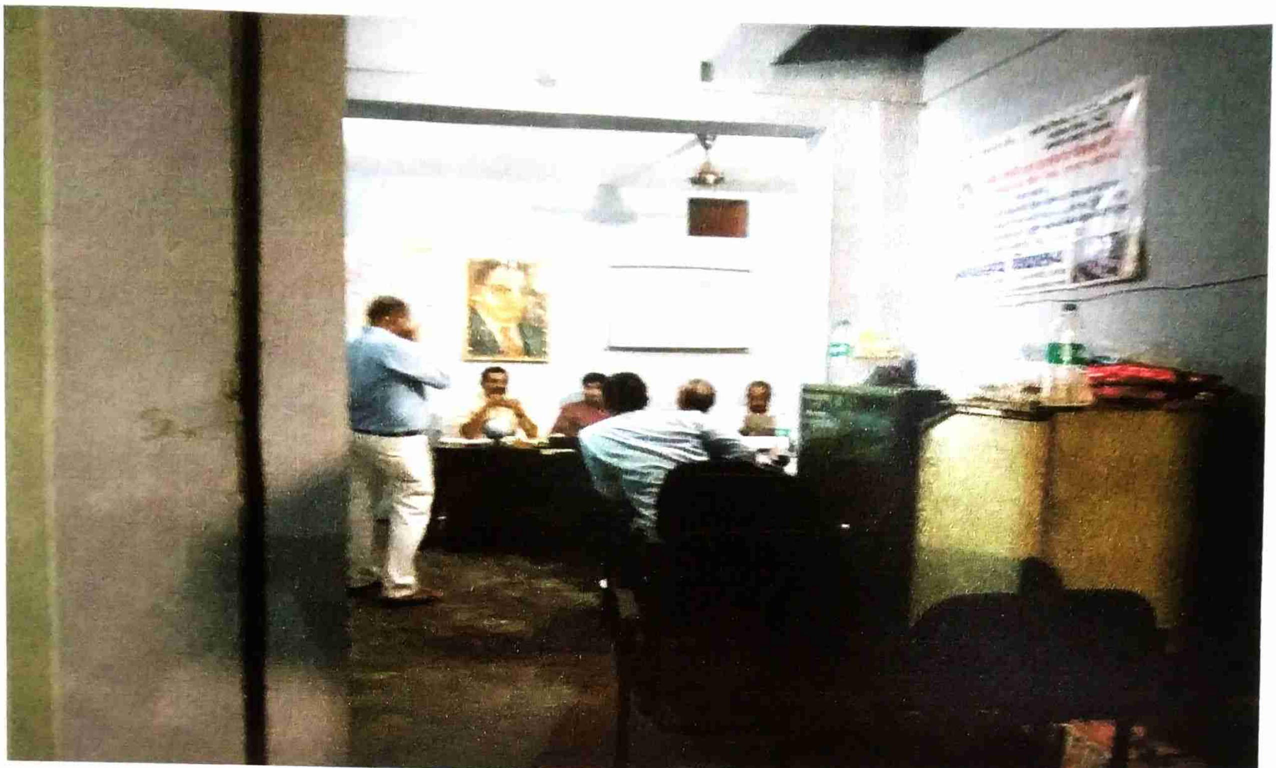

1. हुकम सिंह निरिक्षण टीम 4 सदस्य की थी उनके सम्मुख खड़े है

निरिक्षण टीम का अधिकारी कार्यालय में बैठा हुआ है।

निरिक्षण टीम द्वारा निरिक्षण के समय कार्यालय पर अस्थाई रूप से कर्मचारीगण बैठे हुए हैं।

निरिक्षण टीम द्वारा निरिक्षण के समय कार्यालय पर अस्थाई रूप से कर्मचारीगण बैठे हुए हैं।

निरिक्षण के समय पर थाना गांधीपार्क अलीगढ़ के दीपक नागर दरोगाजी टीम द्वारा बुलाया गया, दि. 21/08/2018 को निरिक्षण के समय उपस्थित थे

निरिक्षण टीम के अधिकारी द्वारा मनोज यादव सहायक -वित्त लेखाधिकारी अस्थाई रूप से उक्त प्रधान कार्यालय से पूछ-ताछ की गयी और हुकम सिंह खड़े हुए हैं।

1

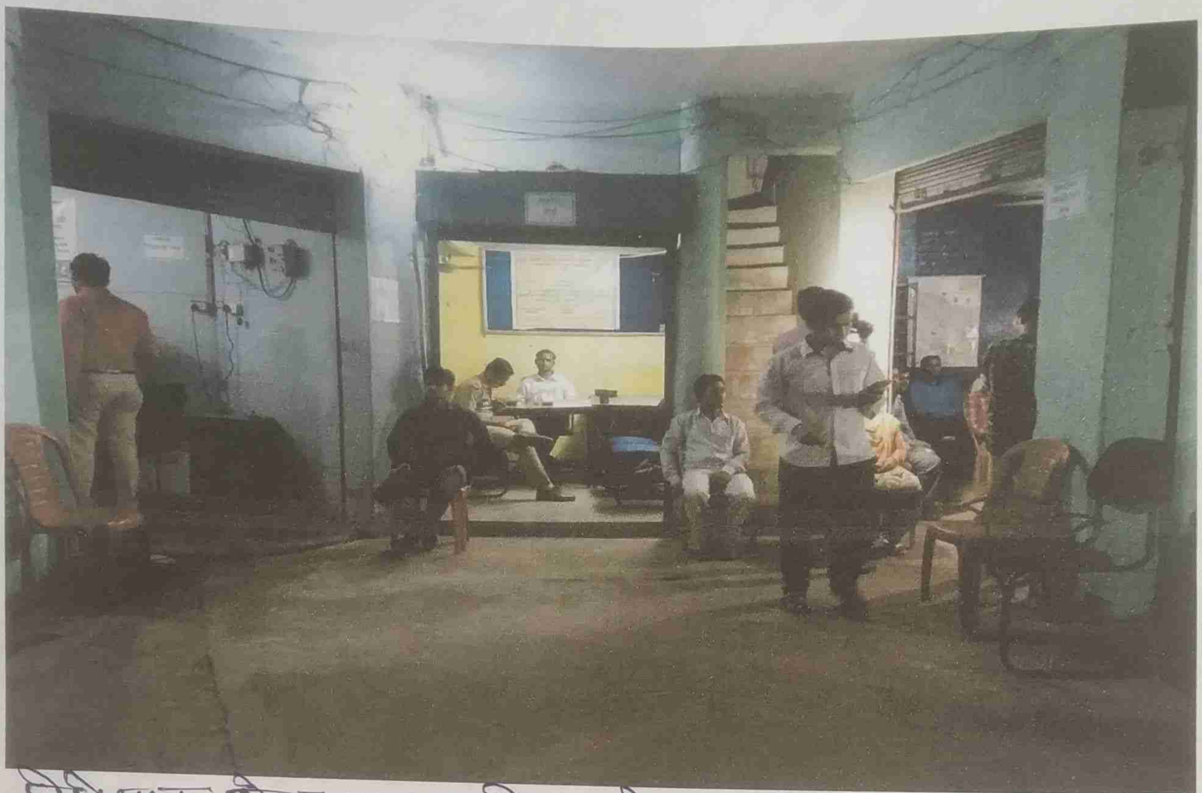

निरिक्षण टीम का अधिकारी कार्यालय में जाकर कमरों में कर्मचारियों की देख-भाल की।

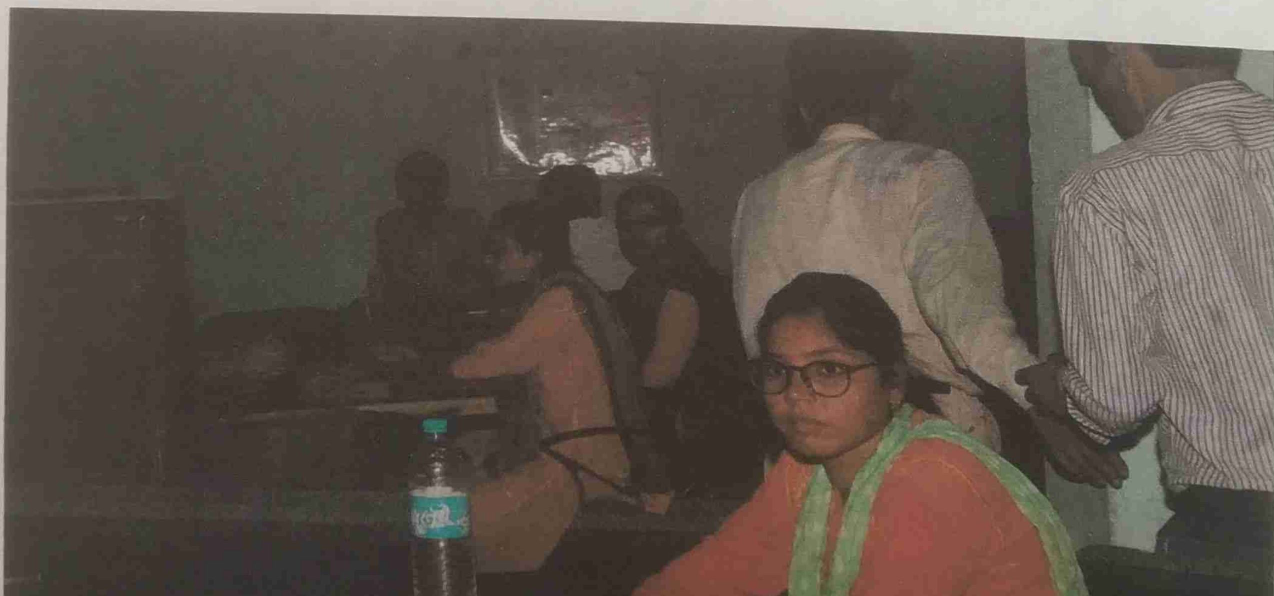

निरिक्षण के समय प्रधान कार्यालय के अस्थाई कर्मचारीगण अपने स्थानों पर बैठे हुए हैं।

निरीक्षण के समय प्रधान कार्यालय के अस्थाई कर्मचारीगण अपने स्थानों पर बैठे हुए हैं।

निरीक्षण समाप्त कर समय शाम 9:10 पर थाना बन्ना देवी अलीगढ़ के निकट, क्लासिक इन होटल अलीगढ़ में अशोक कुमार गौतम द्वारा एवम् हुकम सिंह द्वारा खाना व होटल किराया रु० 10,000/- तथा अशोक कुमार गौतम द्वारा हुकम सिंह से निरीक्षण टीम को रु० 1,00,000/- दिलाए और होटल से विदा किये

1. ज्ञात हुआ है कि होटल में अशोक कुमार गौतम द्वारा बताने पर अध्यक्ष से कहा मैं इसको भलीभांति जानता हूं, तीन वर्ष पूर्व से, यह मेरे कासगंज का रहने वाला है, इसका नाम अनुरुद्ध शर्मा है जो खाने के समय होटल में आसमानी रंग की शर्ट पहने बैठा, मीतेश यादव (फर्जी) का खास सदस्य है।

(7)

निदेशालय, समाज कल्याण, उत्तर प्रदेश।

पत्रांक: 158900 /स0क0/अनुदान/जनसुनवाई/2018–19
लखनऊ, दिनांक : 10 जुलाई, 2018

श्री आर0बी0 वर्मा पूर्व प्रधान,
अध्यक्ष,
भारतीय ग्रामीण क्षेत्र ग्रामोद्योग समिति,
लोया बादशाहपुर, पोस्ट खास,
जनपद एटा।
प्रधान कार्यालय उ0प्र0 अनुसूचित जाति/
पिछडी जनजाति विकास संस्थान बाबू जी मार्केट
वैष्णोंधाम के सामने एटा चुंगी जी0टी0 रोड अलीगढ।

विषय–अराजक तत्वों द्वारा भारतीय ग्रामीण क्षेत्र ग्रामोद्योग विकास समिति (उक्त समिति) के नाम से धोखाधडी के अन्तर्गत शिक्षित समाज के युवकों युवतियों के सम्बन्ध में अवगत कराने हेतु।

उपरोक्त विषयक अपने पत्र दिनांक 23.04.2018 का संदर्भ लें, जो मा0 प्रधानमंत्री जी, प्रधानमंत्री कार्यालय को सम्बोधित एवं मा0 केन्द्रीय मंत्री, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली, सचिव, नीति आयोग, भारत सरकार नई दिल्ली, मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0 लखनऊ, पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ, प्रमुख सचिव, उ0प्र0 शासन, समाज कल्याण विभाग, लखनऊ जिलाधिकारी/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, फर्रूखाबाद, मैनपुरी, आगरा, अलीगढ, इलाहाबाद, को पृष्ठांकित तथा जनसुनवाई, समन्वित शिकायत निवारण प्रणाली उ0प्र0 में दर्ज सन्दर्भ संख्या–15143180127076 के द्वारा आवश्यक कार्यवाही हेतु इस कार्यालय में प्राप्त हुआ है। आपके उक्त पत्र दिनांक 24.08.2018 द्वारा उक्त प्रकरण की जॉच कर अराजकता तत्वों के प्रति कार्यवाही किये जाने एवं अध्यक्ष की सुरक्षा हेतु अनुरोध किया गया है, जिसकी प्रति आप द्वारा पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ को की गयी है।

इस संबंध में अवगत कराना है कि प्रश्नगत प्रकरण विभाग से संबंधित न होने के कारण किसी प्रकार की कार्यवाही किया जाना सम्भव नही है। कृपया वस्तुस्थिति से अवगत होना चाहें।

TRUE COPY ATTESTED
As Produced before me
NOTARY PUBLIC

(पी0सी0 उपाध्याय)
अपर निदेशक।

पृष्ठांकन संख्या एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन समाज कल्याण अनुभाग–2 को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया सन्दर्भ संख्या–15143180127076 को निक्षेपित करवाने का कष्ट करें।

2– नोडल अधिकारी, जनसुनवाई, समन्वित शिकायत निवारण प्रणाली उत्तर प्रदेश मुख्यालय।

(पी0सी0 उपाध्याय)
अपर निदेशक।

पुलिस ने दोनों को भेजा जेल, ठगी की रकम बरामद, पुलिस का दावा युवती ने किया था एसएसपी को फोन

फर्जी आईआरएस की दोस्त निकली फर्जी आईएएस

आगरा | प्रमुख संवाददाता

फर्जी आईआरएस अधिकारी मितेश यादव सोमवार को अकेला जेल नहीं गया। पुलिस ने उसकी दोस्त अंशुल गुप्ता को भी उसके साथ जेल भेजा है। पुलिस का दावा है कि वह अपने आप को आईएएस अधिकारी बता रही थी। उसी ने एसएसपी अमित पाठक को मितेश की सिफारिश में फोन किया था। छानबीन के बाद उसके आईएएस होने की बात झूठी पाई गई। इसी आधार पर उसके खिलाफ धोखाधड़ी की साजिश में शामिल होने की धारा के तहत कार्रवाई की गई है।

एसपी सिटी प्रशांत वर्मा ने बताया कि मूलतः व्यूति खुर्द, मैनपुरी निवासी मितेश यादव शातिर अपराधी है। वर्तमान में न्यू आगरा में रह रहा था। पिता अक्षय यादव रिटायर्ड दरोगा हैं। मितेश ने राजस्व विभाग में नौकरी लगवाने के लिए वजीरपुरा निवासी फैसलउद्दीन से 27 हजार रुपये लिए थे। फैसल ने उसके खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा लिखाया था। एसआई अवनीश त्यागी और सिपाही शाकिर हुसैन इसकी जांच कर रहे थे। मितेश को पूछताछ के लिए पकड़ा गया तो एलोरा एन्क्लेव निवासी अंशुल गुप्ता ने एसएसपी अमित पाठक को फोन किया। खुद को आईएएस अधिकारी बताया था।

मितेश जिस गाड़ी से आया था, उस पर नीली बत्ती लगी थी। उसने अपने ... आईडी कार्ड की इमेज व्हाट्सएप ... वह जांच में फर्जी निकली। ...ीकत जानने के लिए ... पूछा गया। ... साक्षात्कार दिया था। वेटिंग लिस्ट में नाम है। कुछ भ्रम की स्थिति है। पुलिस ने उसका रोल नंबर का लिस्ट से मिलान किया। जो रोल नंबर उसने दिया था, वह दूसरे अभ्यर्थी का निकला। इसी आधार पर उसे भी अभियुक्त बनाया गया। उसे

दरोगा की शिकायत की थी

पुलिस का दावा है कि अंशुल गुप्ता ने अपने दोस्त को छुड़ाने के लिए एसएसपी को फोन किया था। एसएसपी से कहा कि दरोगा को अधिकारियों से बात करने की तहजीब नहीं है। वह भी आईएएस के लिए चयनित हुई है। एसएसपी के आदेश पर युवती के प्रोफाइल की जांच शुरू की गई तो उसका भी झूठ पकड़ में आ गया।

रंगदारी में जेल गया था

अक्षय कुमार की फिल्म स्पेशल 26 की तर्ज पर मितेश यादव ने अपने साथियों के साथ दिल्ली में एक कारोबारी के घर छापा मारा था। उस समय वह आयकर अधिकारी बना था। उसे खबर मिली थी कि नोटबंदी के दौरान कारोबारी ने मोटा पैसा बदला था। इसी सूचना पर वह आयकर विभाग की फर्जी टीम लेकर कारोबारी के घर पहुंचा था। बीस लाख रुपये रिश्वत मांगी थी। मौके से ही पांच साथियों के साथ पकड़ा गया था। मालवीय नगर पुलिस ने उसे रंगदारी वसूलने और मारपीट की धारा में जेल भेजा था। वह पंद्रह दिन जेल में रहा था।

संघ लोकसेवा आयोग के कार्यालय के बाहर अंशुल गुप्ता।

नीली बत्ती की गाड़ी में चलता था मितेश यादव।

एक फोन की दी है सजा

अंशुल गुप्ता का कहना है कि पुलिस ने उसे फंसाया है। मितेश फर्जी अधिकारी है यह उसे पता नहीं था। पता होता तो बात भी नहीं करती। घर नहीं बुलाती। पुलिस मितेश को ले गई थी। इसलिए सीधे एसएसपी को फोन कर दिया। उसने यूपीएससी का साक्षात्कार दिया था। एसएसपी को फोन पर यही बताया था। उसके मोबाइल से पुलिस को कुछ फोटोग्राफ मिले हैं। जो संघ लोकसेवा आयोग के कार्यालय के बाहर के हैं। पुलिस ने सिर्फ एक फोन करने पर उसे अभियुक्त बनाया है।

एक-दूसरे को समझते थे अधिकारी, देखे शादी के सपने

आगरा | प्रमुख संवाददाता

मितेश यादव ने अंशुल गुप्ता को यह सोचकर फंसाया था कि आईएएस से शादी हो जाएगी। वहीं अंशुल यह सोच रही थी कि एक आईआरएस से उसका रिश्ता जुड़ने वाला है। दोनों ही एक-दूसरे को अधिकारी समझते थे। हकीकत कुछ और ही थी। पुलिस की जांच में उनकी दोस्ती झूठ की बुनियाद पर टिकी हुई थी। खुलासे के बाद दोनों ही हैरान रह गए। युवती ने तो काफी हद तक सही बोला था मगर मितेश तो पूरा ही फ्रॉड था।

मितेश ने पुलिस को बताया कि वह अंशुल से शादी करना चाहता था। उसके घर आया जाया करता था। घरवालों को बताया था कि यूपीएससी में उसका चयन हो गया है। प्रतीक्षा सूची में है। वह साक्षात्कार देने भी दिल्ली गई थी। उसने फोटो भी दिखाए थे। उसे उसकी बात पर यकीन था। पिछले एक साल से वह उसे जानता था। उससे शादी के सपने देख रहा था। सोचा था कि अंशुल आईएएस बन गई तो उसकी भी किस्मत चमक जाएगी। बाद में उसे उसके फर्जी होने का पता भी चलेगा तो कुछ नहीं करेगी।

दूसरी तरफ अंशुल गुप्ता ने मितेश की दोस्ती यह सोचकर स्वीकार की थी कि वह आयकर अधिकारी है। उसकी पढ़ाई पर बंदिश नहीं लगाएगा। एक न एक दिन उसका भी यूपीएससी में चयन हो जाएगा। एक अधिकारी से उसे तैयारी ... पुलिस से कहा कि वह भी मितेश को अधिकारी ही समझते थे। उन्हें उसकी हरकतों से कभी यह शक नहीं हुआ कि वह फर्जी है। इसलिए वह उसकी पैरवी में थाने तक आए। उन्हें लगा कि पुलिस को कोई भ्रम हो गया है। जब हकीकत ... खिसक गई। उन्होंने मितेश के पिता से भी फोन पर बात की थी। पिता ने भी यह नहीं बताया कि उनका बेटा अपराधी है। पहले जेल जा चुका है। आईआरएस नहीं है। झूठ बोलता है। शातिर के चक्कर में बेटी फंस गई। उसका भी

क्या हुआ बरामद

मितेश के पास से 27000 रुपये, कार, नीली बत्ती, फर्जी आईडी कार्ड आदि सामान बरामद हुआ है।

बेटी को पुलिस ने फंसाया है

अंशुल गुप्ता के पिता प्रमोद गुप्ता पुलिस की कार्रवाई से आहत हैं। उनका कहना है कि पुलिस ने बेटी को इस केस में फंसाया है। उनकी बेटी मितेश को जानती थी। उसका सिर्फ इतना कसूर है। बेटी ने इतनी बड़ी भूल नहीं की थी कि उसे जेल भेज दिया जाता। पुलिस ने बेटी का भविष्य खराब कर दिया। वह मुकदमा लड़ेंगे। पुलिस की कार्रवाई को कोर्ट में चुनौती देंगे। एक अधिकारी की जिद के कारण बेटी को पुलिस ने अभियुक्त बनाया है। वह अपनी बेटी के साथ हैं और रहेंगे। वह गलती करती तो पुलिस के साथ होते। मितेश ने धोखाधड़ी की होगी।

बदमाशों ने ...
पत्नी को ...

आगरा | कार्यालय संवाददाता

थाना मलपुरा क्षेत्र के गांव लालऊ स्थित ...
दक्षिणी बाईपास पर सोमवार शाम ...
सवार बदमाशों ने कार सवार पूर्व फौजी ...
उसकी पत्नी को घेर लिया। पति से मार...
की और पत्नी को गोली मार दी। अभी ...
की वजह साफ नहीं हुई है। पुलिस ने घा...
को निजी अस्पताल में भर्ती कराया है। ...
पूरे घटनाक्रम की छानबीन कर रही है।

फतेहपुरसीकरी के मूल निवासी दिवा...
शर्मा कुछ समय पहले से ग्वालियर रो...
स्थित मनोहर धाम में रह रहे हैं। परिजनों ...
मुताबिक हाल ही में वह सेना से सेवानिवृ...
हुए हैं। रक्षाबंधन पर दोनों बेटे अर्पित ...
हिमांशु घर आए थे। सोमवार को दिवा...
पत्नी विमलेश के साथ बच्चों को हॉस्ट...
छोड़ने नदबई गए थे। वहां से शाम पांच ...
स्विफ्ट डिजायर से घर लौट रहे थे। ना...
गांव के पास दक्षिणी बाईपास पर उन्हों...
टॉयलेट के लिए कार रोकी। तभी पीछे ...
आए बुलेरो सवार बदमाशों ने हमला ...
दिया। पूर्व फौजी के साथ मारपीट की। ...
देख पत्नी कार से बाहर आ गईं। ...
बदमाश ने विमलेश पर दो राउंड गोली च...
दी जो उनके कंधों में लगी। बदमाश ...
गए। सूचना पर परिजन व सीओ ...
नमृता श्रीवास्तव और एसओ मल...
विजय सिंह पुलिस बल के साथ आ ...
आनन-फानन में घायल को उपचार के ...

SHREE ...
(Estd. 2004)
ADMISSION

उ.प्र. सरकार द्वारा (रजि0) कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण भारत वर्ष

7452967340

भारतीय ग्रामीण क्षेत्र ग्रामोद्योग विकास समिति

लोया बादशाहपुर, पो0 खास, जनपद एटा (उ.प्र.)

द्वारा संचालित

-:: मुख्यालय ::-

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति/पिछड़ी जाति विकास संस्थान

जयनरायन वर्मा रोड फतेहगढ़ फर्रूखाबाद

आर0बी0वर्मा

अध्यक्ष/पूर्व प्रधान

अमर उजाला – फर्रूखाबाद पत्रांक -......507..........

दिनांक - 16/12/2020

समाचार रामबाबू वर्मा अध्यक्ष ने कहा है कि भारतीय ग्रामीण क्षेत्र ग्रामोद्योग विकास समिति लोयाबादशाहपुर पोस्ट खास जनपद एटा द्वारा उ0प्र0 सरकार के क्षेत्रीय सोसाइटी कार्यालय आगरा से दिनांक 06/01/1990 से (रजि0) है। इसके द्वारा प्रधान कार्यालय उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति/पिछडी जाति विकास संस्थान जयनरायन वर्मा रोड फतेहगढ़, फर्रूखाबाद तथा संशोधित के तहत मुख्यालय उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति/पिछडी जाति विकास संस्थान जयनरायन वर्मा रोड फतेहगढ़ फर्रूखाबाद में वर्ष (1991–92) से स्थित है। (अनुसूचित जाति विकास) की प्रस्तावित प्रस्तावों की पत्रावलीयों को सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार शास्त्री भवन नई दिल्ली में प्रेषित के तहत सचिव/संयुक्त सचिव/उपसचिव/अवर सचिव/अनुसचिव से न्याय न मिलने के कारण अध्यक्ष न्याय हेतु उच्च न्यायालय इलाहाबाद की शरण में जाकर वकील द्वारा प्रार्थना पत्र के तहत वर्ष (2019) में रिट याचिका सचिव एवं 3 अन्य के प्रति उच्च न्यायालय इलाहाबाद के ऑडर दिनांक 15/04/2019 एवं आडर दिनांक 05/08/2019 और आडर दिनांक 03/01/2020 में कंटम कोर्ट के तहत और वीर सिंह नेता लोकल निवासी नरायनपुर पट्टी मण्डी फर्रूखाबाद के निकट तथा अराजकता तत्वों द्वारा उच्च न्यायालय इलाहाबाद जाकर आनन्द कुमार त्रिपाठी वकील द्वारा आडर दिनांक 03/01/2020 की नकल प्रति निकलवा कर स्वयं तथा अराजकता तत्वों द्वारा आडर पर 09/11/2020 और बीच मे सेक्शन ग्रांट 15/17/सितम्बर तथा नीचे की तरफ सेक्शन और उच्च न्यायालय इलाहाबाद की खण्ड पीठ न्यायालय लखनऊ अंकित किया है। इसकी जानकारी उक्त मंत्रालय/उच्च न्यायल इलाहाबाद में पता तलगवाया आडर दिनांक 03/01/2020 में अंक एवं शब्दों को फर्जी रूप से वीर सिंह नेता तथा अराजकता तत्वों ने अंकित किया उच्च न्यायालय इलाहाबाद की अभेलना की। इसकी सूचना वीर सिंह नेता ने अपने मो0– 8765649892 से पूरनलाल दिवाकर के पुत्र जयचन्द्र के मो0– 8368611138 पर भेजी यह सूचना अन्य के मोबाइल पर भेजी गयी समाज के शिक्षित युवकों/युवतियों तथा अध्यक्ष को गुमराह करने हेतु/पूरनलाल दिवाकर के मो0–7565052050 से जाकारी की जाये। वीर सिंह नेता ने तथा अराजकता तत्वों द्वारा 420 धोखाधडी के तहत बैठक कर उक्त कार्यालय पर बैठने तथा कार्य हेतु और अध्यक्ष को दो माह बीमार दिखाते हुए/फर्जी तरह से षडयंत्र कार्यवाही कर कारवाहक अध्यक्ष स्वयं बना उक्त समिति में कोई सदस्य तथा किसी पद पर कार्यालय में भी नहीं है। वीर सिंह नेता यह बताऐं अध्यक्ष का इलाज कोन से डाक्टर द्वारा बीमारी की दवाईयां दी हैं मैं अध्यक्ष स्वयं स्वारथ है। कोई बीमारी नहीं है। मेरे साथ षडयंत्र रचा गया। इसने अमर उजाला अपना शहर फर्रूखाबाद से शुक्रवार दिनांक 11/12/2020 में उक्त समिति तथा अध्यक्ष के प्रति सूचना प्रकाशित कराई है। अध्यक्ष ने कार्यवाहक का अध्यक्ष द्वारा लिखित रूप से प्रमाण दिया है तो अध्यक्ष दोषी है वह प्रमाण पत्र दिखाए तथा जारी करें। नहीं तो आप दोषी हैं। समाज के शिक्षित युवाके/युवतियों एवं अस्थाई 85 दिन पर उक्त समिति में कार्य करने वाले गुमराह किया है। वीर सिंह नेता के विचार धारा गलत है। उ0प्र0 में कार्यालय खोलकर कार्य करना कानून के विरूद्ध है। वीर सिंह नेता तथा अराजकता तत्वों का ठगी का क्षेत्र फर्रूखाबाद, कन्नौज, कानुपर, लखनऊ, उन्नाव, शाहजहाँपुर, बदायूँ, हरदोई, मुरादाबाद, कासगंज, मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर (नोएडा), एटा, मैनपुरी, फिरोजाबाद, इलाहाबाद, चित्रकूट, फतेहपुर, कौशाम्बी, अलीगढ मिर्जापुर, वाराणसी, मऊ, बाराबंकी, क्षेत्रो में समाज के शिक्षित युवकों/युवतियों को उक्त समिति के कार्यालयों में नौकरी लगवाने का प्रलोबन देकर लाखों रूपये से ठगी कर स्वयं हढ़प जाते हैं। समिति व अध्यक्ष को बदनाम कर रहे हैं। अलीगढ–5, मेरठ–1, कासगंज–1, फर्रूखाबाद–5, मैनपुरी–2, वीर सिंह नेता स्वयं तथा साथी अराजकता तत्वों को भलीभांति जानता है। उच्च न्यायालय इलाहाबाद से आडर की प्रति न्याय मिलने पर उक्त मंत्रालय से योजना घोषित होने पर मुख्यालय अलीगढ, आगरा, लखनऊ, इलाहाबाद में से एक स्थान पर स्थित रहेगा। फतेहगढ, फर्रूखाबाद से स्थानान्तरण की प्रति के प्रति से अवगत जिलाधिकारी/ मुख्यविकास अधिकारी/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/सेवा योजना अधिकारी/जिला समाज कल्याण अधिकारी/पुलिस चौकी प्रभारी कर्नलगंज फतेहगढ, फर्रूखाबाद को दिनांक अवगत करा चुका हूँ। धन अभाव में उक्त कार्यालय का समुचित व्यवस्था नहीं हो पा रही है। मुझे उक्तों से जान–माल तथा परिवार को धमकी से खतरा है। इनके प्रति कानूनी कार्यवाही करने की मांग की जारही है। उक्त का खण्डन किया जाता है। संलग्न प्रति उक्त विवरण अध्यक्ष द्वारा दिया गया है।

आर0बी0 वर्मा

आर0बी0 वर्मा

अध्यक्ष/पूर्व प्रधान

अध्यक्ष

- वीरसिंह नेता लोकल फर्जी कार्यवाहक अध्यक्ष उक्त समिति का

उ.प्र. सरकार द्वारा (रजि0) कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण भारत वर्ष
7452967340

भारतीय ग्रामीण क्षेत्र ग्रामोद्योग विकास समिति

लोया बादशाहपुर, पो0 खास, जनपद एटा (उ.प्र.)

द्वारा संचालित

-:: मुख्यालय ::-

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति/पिछड़ी जाति विकास संस्थान

जयनरायन वर्मा रोड फतेहगढ़ फर्रूखाबाद

आर0वी0वर्मा
अध्यक्ष/पूर्व प्रधान

पत्रांक - 501
दिनांक - 7-12-2020

अथवा

प्रधान कार्यालय अनुसूचित जाति / पिछड़ी जाति विकास संस्थान वाबू जी मार्केट वैष्णो धाम के सामने एटा चुंगी जी०टी०रोड अलीगढ़ का निरीक्षण अशोक कुमार गौतम ने दिनांक - 21-8-2018 में 7 बजकर शाम से 9 बजे रात तक कराया

अशोक कुमार गौतम
पुत्र श्री तोताराम निवासी उर्मिला तिवारी हाउस न्यू स्टेट बैंक कालोनी केनरा बैंक वाली गली शहर थाना कोतवाली शहर कासगंज अराजक तत्व द्वारा उक्त प्रधान कार्यालय का निरीक्षण कराया फर्जी के अन्तर्गत था, पूर्व में इसकी शिकायत दिनांक - ~~23~~ - एवं 25-8-2018 को इस के प्रति शिकायत कर चुका हूँ। इसके प्रति कार्यवाही करने की मांग की जा रही है।

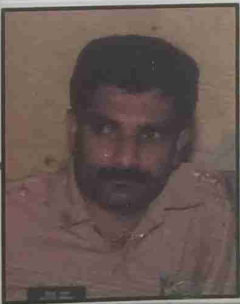

दीपक नागर दरोगा जी थाना कोतवाली गांधीपार्क अलीगढ़ से उक्त निरीक्षण के समय उपस्थित थे। अध्यक्ष द्वारा बुलाने की कोई सूचना नहीं दी थी। किनके द्वारा लिखित में सूचना दी

कुलदीप सिंह व पत्नी नेहा जो प्रार्थना पत्र शिकायत में इसका पता अंकित है अराजक तत्व से सम्बन्ध है।

अध्यक्ष

U.P. Government by (Regd.)
Established Date 06-01-1990 (1989-90)
Reg. No. 1427
Work Area - U.P. & India
Mob. 7060247221, 8979543081, 8979543106

BHARTIYA GRAMIN SHETRA GRAMODHYOG VIKAS SAMITI

LOYABADSHAPUR, POST-KHAS, DISTT-ETAH, BY CONDTUCTED

HEAD OFFICE

U.P. Schedule Cast / Backword Cast Vikas Organization

Babuji Market, II infront of Vaishano Dham II Eath Chungi, G.T. Road, ALIGARH (U.P.)

President – R.B. VERMA

Ref. No. 1025/Memo

Dated 18/Aug/2018

To,

Mr. Mitesh kumar,
A.C.I.T of vigilence
C.B.D.T Ministry of Finance
Govt of India
New Delhi

Sub - Request for the fund release for Inspection.

Sir,

I am Ashok kumar Gautam Managing Director of U.P. Sc/BC Vikas organization. I have an NGO. that are located on the site of Babuji market, etah chungi Aligarh. I am requests to the inspection of the head office and want given the permission grant-in-aid from the Ministry of social justice and empowerment Government of India.

So, you are requesting that my inspection of the above office will be pleased with the given grant of the Govt. of India. Ministry of social Justice and empowerment, New Delhi.

Ashok Kumar Gautam Managing Director/Representative
UPSCOBCVO.Org. Aligarh.
M:- 7017307261, 9458861010
email- Gautamashokkumar786@gmail.com

कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया

फर्रुखाबाद। भारतीय ग्रामीण क्षेत्र ग्रामोद्योग विकास समिति अध्यक्ष आरबी वर्मा ने बीमार होने के चलते दो माह के लिए वीर सिंह को कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया है। उन्होंने कहा कि फतेहगढ़ स्थित जयनारायण वर्मा रोड स्थित अनुसूचित जाति, पिछड़ी जाति विकास संस्थान कार्यालय में उनके निर्देशानुसार वीर सिंह कार्यवाहक अध्यक्ष के तौर पर काम करेंगे। (संवाद)

अमर उजाला -
अपना शहर फर्रुखाबाद
11-12-2020

न्यायालय मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, फर्रुखाबाद।

रामबाबू वर्मा बनाम गीशचन्द्र आदि।

प्रा०प० धारा 156(3) द०प्र०सं०

13.05.2005
------------ आवेदक रामबाबू वर्मा की ओर से विपक्षीगण गीशचन्द्र एवं सुशीलदत्त के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराये जाने हेतु धारा 156(3) द०प्र०सं० के तहत प्रा०प० प्रस्तुत किया है।

आवेदक ने अपने प्रा०प० के कथनों के समर्थन में स्वयं का शपथपत्र, माननीय उच्च न्यायालय का आदेश, भारतीय ग्रामीण चेतना ग्रामोद्योग विकास समिति जय नरायन वर्मा रोड फतेहगढ़ में नियुक्ति कर्मचारियों की लिस्ट पुलिस अधीक्षक को प्रेषित प्रा०प० की कार्बन कापी, आदि प्रपत्र प्रस्तुत किये है।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध करायी गयी साक्ष्य का परिशीलन किया।

आवेदक ने अपने प्रा०प० के कथनों के समर्थन में स्वयं का शपथपत्र तथा माननीय उच्च न्यायालय से संबंधित आदेश तथा पुलिस अधीक्षक को प्रेषित प्रा०प० की कार्बन कापी आदि प्रपत्र प्रस्तुत किये हैं, जिनके अवलोकन से आवेदक द्वारा कथित कथन सत्य प्रमाणित होते हैं। अतः प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुये विपक्षीगण के विरुद्ध प्रथम दृष्टया अपराध कारित किया जाना परिलक्षित होता है। विपक्षीगण द्वारा कारित अपराध संज्ञेय है। अतः आवेदक का प्रा०प० स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रा०प० स्वीकार किया जाता है। सम्बन्धित थानाध्यक्ष को निर्देशित किया जाता है कि मुकदमा दर्ज कर विधिवत विवेचना करें। विवेचक मजिस्ट्रेट से वारण्ट प्राप्त करने के पश्चात ही अभियुक्तगण को गिरफ्तार करें।

दिनांक- 13.05.2005

(दयाराम)
मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी,
फर्रुखाबाद।

eLegalix - Allahabad High Court Judgment Information System *(Judgment/Order in Text Format)*

This is a CERTIFIED copy for information/reference. For authentic copy please refer to certified copy only. In case of any mistake, please bring it to the notice of Deputy Registrar(Copying).

HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

?Court No. - 2

Case :- CONTEMPT APPLICATION (CIVIL) No. - 8661 of 2020

Applicant :- Bhartiya Gram Kshetra, Gram Udyog Vikas Samiti
Opposite Party :- Ajay Chaudhary And 3 Others
Counsel for Applicant :- Ayank Mishra,Vivek Kumar Srivastava

Hon'ble Suneet Kumar,J.
Heard the learned counsel for the applicant.
This is second contempt petition.
It is alleged that the writ court order has been violated.
From a perusal of the record, prima facie, a case for contempt is made out.Thatswhy both parties compromise to each oher.
Issue notice to opposite party No. 2 returnable about sanction grant from 15 to 17 september 2020.
The counter affidavit may be filed within the aforesaid period or else charges may be framed after summoning the noticee.
However, one more opportunity is granted to the opposite party No. 2 to comply with the order within a month.
The noticee need not appear at this stage.
The office may send a copy of this order along with the notice,about sanction letter,

Order Date :
Mukesh Kr. 04/09/2020

Visit http://elegalix.allahabadhighcourt.in/elegalix/StartWebSearch.do for more Judgments/Orders delivered at Allahabad High Court and its Bench at Lucknow. Disclaimer

मैंने आज दिनांक 17/1/2018 को श्री के.पी. सिंह
जी से, एकलाख पचास हजार के चैक प्राप्त करके
उक्त चैक श्री वर्मा (श्री रामबाबू वर्मा, अध्यक्ष
भारतीय ग्रामीण क्षेत्र ग्राम उद्योग ~~विकास~~ समिति
लोहाबादशाहपुर, पो० ब्लाक जनपद एटा के
कहने पर श्री अशोक कुमार गौतम, कासगंज
तथा श्री विक्रम कुमार एवं श्री आर.पी. वर्मा के समक्ष
को उपलब्ध कराए गए।

अशोक कुमार गौतम

17-1-18.

Vikash Kumar
17/01/2018

गवाह -
1. श्री नरेश कुमार — [signature] 17/01/2018
2. श्री राजेश्वर दयाल — Rajeshwar Dayal 17/01/2018
3. श्री धनपत सिंह — Dhanpat Singh 17/1/2018

State Bank Of India — भारतीय स्टेट बैंक
BHASTRI BHAWAN, RAJENDRA PRASAD ROAD, NEW DELHI 110001
Tel : 11 23073721 Fax : 23383789 IFS Code : SBIN0050203 SWIFT :

17 01 2018 (D D M M Y Y Y Y)

PAY गौतम स्टील फर्नीचर उद्योग कासगंज — को या उनके आदेश पर OR ORDER
रुपये RUPEES पचास हजार केवल
अदा करें ₹ 50,000/-

खा. सं. A/c No 55113211257 — VALID UPTO ₹ 10 LACS AT NON-HOME BRANCH

SB ACCOUNT
PREFIX :
0523500149

राजेश्वर
RAJESHWAR DAYAL RAJESHWAR DAYAL

MULTI-CITY CHEQUE Payable at Par at All Branches of SBI

65314 / 25 / BLUE ORDER / R / 03Oct2017 SESHAASAI (D) / CTS-2010

⑈380793⑈ 110002742⑆ 022475⑈ 31

Bank of Baroda — बैंक ऑफ़ बड़ौदा
मयूर विहार फेस-3, दिल्ली, दिल्ली - 110096
MAYUR VIHAR PH-III DELHI, Delhi 110096
RTGS / NEFT IFSC CODE : BARB0TRIXCHW

जारी की गई तारीख से तीन माह के लिए वैध / VALID FOR THREE MONTHS FROM THE DATE OF ISSUE

CBS 17 01 2018 (D D M M Y Y Y Y)
सेविंग्स खाता SAVINGS ACCOUNT

Pay गौतम स्टील फर्नीचर उद्योग कासगंज — or Bearer
Rupees रुपये पचास हजार केवल — या धारक को
अदा करें ₹ 50,000/-

खा. सं. A/c No. 21350100023396

Naresh Kumar
Naresh Kumar
NARESH KUMAR
Please sign above

SB/2012/UF — भारत की सभी शाखाओं पर सममूल्य पर देय / Payable at par at all branches in India | SDZ

⑈000025⑈ 110012048⑆ 023396⑈ 31

Bank of Baroda — बैंक ऑफ़ बड़ौदा
मयूर विहार फेस-3, दिल्ली, दिल्ली - 110096
MAYUR VIHAR PH-III DELHI, Delhi 110096
RTGS / NEFT IFSC CODE : BARB0TRDCHW

जारी की गई तारीख से तीन माह के लिए वैध / VALID FOR THREE MONTHS FROM THE DATE OF ISSUE

CBS 17 01 2018 (D D M M Y Y Y Y)
सेविंग्स खाता SAVINGS ACCOUNT

Pay गौतम स्टील फर्नीचर उद्योग कासगंज — or Bearer
Rupees रुपये पचास हजार केवल — या धारक को
अदा करें ₹ 50,000/-

खा. सं. A/c No. 21350100023396

Naresh Kumar
Naresh Kumar
NARESH KUMAR
Please sign above

SB/2012/UF — भारत की सभी शाखाओं पर सममूल्य पर देय / Payable at par at all branches in India | SDZ

⑈000024⑈ 110012048⑆ 023396⑈ 31

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय

एवं

ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार

द्वारा

ग्रामीण शिक्षित बेरोजगार

पंजीकरण परियोजना

उ०प्र०

उद्देश्य

सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले शिक्षित बेरोजगारों का पंजीकरण कर उनको विभिन्न सरकारी व अर्द्ध सरकारी विभागों व स्वदेशी एवं विदेशी कम्पनियों में नियुक्ति करने के सम्बन्ध में बेरोजगारों को रोजगार सम्बन्धी जानकारी उपलब्ध कराने के लिये इस परियोजना को क्रियान्वित किया गया है।

जब कि राज्य सरकारों द्वारा प्रत्येक जिले पर रोजगार कार्यालय स्थापित हैं। लेकिन उन कार्यालयों में पंजीकरण कराने के बाद भी ग्रामीण बेरोजगारों को सूचना नहीं मिल पाती है। इन्हीं कमियों को ध्यान में रखकर सरकार ने स्वैच्छिक संगठनों द्वारा इस परियोजना का संचालन किया है।

पंजीकरण के लिए नियम व शर्ते -

1- देश के ग्रामीण शिक्षित बेरोजगारों का पंजीकरण उन्हीं लोगों का होगा जिनकी योग्यता कम से कम कक्षा आठ पास हो।

2- बेरोजगार की उम्र कम से कम 16 वर्ष व अधिक से अधिक 40 वर्ष हो।

3- बेरोजगार किसी भी वर्ग या जाति का हो कोई प्रतिबन्ध नहीं है।

4- बेरोजगार महिला या पुरुष कोई भी हो।

5- पंजीकरण ग्राम प्रधान व उप प्रधान की संस्तुति करने पर ही होगा तथा ग्राम प्रधान/उप प्रधान के माध्यम से ही आप तक सूचना पहुंचेगी।

6- बेरोजगारों की पंजीकरण संख्या क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ द्वारा ही दी जायेगी।

7- बेरोजगारों को पंजीकरण कराने के लिये निर्धारित पंजीकरण कार्ड भरना पड़ेगा।

8- पंजीकरण कार्ड में केवल पंजीकरण संख्या छोड़ कर सभी कालम आवेदक द्वारा भरने हैं।

9- बेरोजगार को उस ग्राम सभा का निवासी अवश्य होना चाहिये तभी पंजीकरण सम्भव है।

10- जो बेरोजगार 5 वर्षो से उस ग्राम सभा में रह रहा हो वह भी अपना पंजीकरण करा सकता है।

11- सम्पूर्ण ग्राम सभा के आवेदकों का पंजीकरण एक बार में ही होना है क्योंकि पूरे ग्राम सभा की पंजीकरण संख्या क्रमवार निश्चित होना है।

पंजीकरण शुल्क

बेरोजगारी की समस्या को देखते हुए ये परियोजना पूरे भारत वर्ष में संचालित की गयी है। इसमें पंजीकरण शुल्क निश्चित किया गया है। जो कि शिक्षा व योग्यता के आधार पर रखा गया है। यह शुल्क केवल डाक व्यय के लिए जमा होगा। जिससे विभागों में रिक्त पदों की सूचना आप तक विशेष तौर पर पहुंचा सके। इन सभी कमियों को ध्यान में रख कर इस परियोजना को संचालित किया

जा रहा है। पंजीकरण शुल्क का विवरण निम्न प्रकार है -

पंजीकरण शुल्क का विवरण

योग्यता	पंजीकरण शुल्क	उम्र वर्ष
1 कक्षा 8 पास	10/-	16 से 40 वर्ष
2- हाई स्कूल	15/-	16 से 40 वर्ष
3- इन्टरमीडिएट	15/-	18 से 40 वर्ष
4- बी0ए0/बी0एस0सी0/ बी0कॉम0	20/-	18 से 40 वर्ष
5- एम0ए0/ एम0एस0सी0/ एम0कॉम0	20/-	18 से 40 वर्ष
6- डिप्लोमा एवं अन्य	25/-	18 से 40 वर्ष

पंजीकरण शुल्क को चालान फार्म भरकर ग्राम प्रधान/उप प्रधान द्वारा चालान फार्म पर संस्तुति कराना अनिवार्य है। शुल्क को स्टेट बैंक आफ इण्डिया शाखा सचिवालय परिसर लखनऊ खाता संख्या 227 या पंजाब नेशनल बैंक शाखा गोमतीनगर लखनऊ खाता संख्या 317 में सचिव के नाम जमा करना है।

विशेष

जिन बेरोजगारों की उम्र अधिक हो चुकी है या सरकारी सेवा के इच्छुक नहीं है उन लोगों के लिए सरकार द्वारा स्वरोजगार योजना के द्वारा कम व्याज

4 प्रतिशत पर 4 लाख रुपये तक की ऋण सुविधा ग्राम प्रधान/उप प्रधान की संस्तुति होने पर की जायेगी जिससे बेरोजागर स्वयं का उद्योग लगा सकता है। अन्य योजनायें भी उपलब्ध है जो पंजीकरण के बाद ही बेरोजगारों को उपलब्ध हो पायेगी।

जो सक्षम योग्यता रखने वाले बेरोजगार यदि कोई कोर्स जैसे कम्प्यूटर, इंजीनियरिंग, डाक्टरी, सी०ए०, एम०बी०ए० आदि करने के इच्छुक हैं और यदि उनके अभिभावकों की आर्थिक स्थिति कोर्स कराने लायक नहीं है तो उन बेरोजगारो को इस परियोजना के माध्यम से (सरकार द्वारा) पूरा खर्च वहन किया जायेगा लेकिन कोर्स करने से पहले उसके अभिभावकों को एक बॉड भरना पड़ेगा कि कोर्स के बाद सर्विस लगने पर बगैर व्याज के पैसा वापिस कर दूँगा। जिन बेरोजगारों का विदेश सेवा के लिए चयन होता है तो उनका भी खर्च इस परियोजना द्वारा वहन किया जायेगा।

ग्रामीण क्षेत्रों के बेरोजगारों को पंजीकरण कर ग्राम प्रधान व उप प्रधान के माध्यम से देशी या विदेशी कम्पनियों व सरकारी एवं अर्द्ध सरकारी विभागों में नियुक्ति करके उनको रोजगार उपलब्ध कराना है। ग्रामीण क्षेत्र के बेरोजगारों को खाली रिक्त की जगहों के बारे में जानकारी नहीं हो पाती है। इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर इस परियोजना

का संचालन सरकार द्वारा किया गया है।

इस परियोजना का संचालन ग्राम प्रधान व उपप्रधान द्वारा इस लिये कराया जा रहा है कि ग्राम प्रधान को सरकार द्वारा कई विभागों का कार्य सौपे जाने का प्रस्ताव है। इसमें ग्राम प्रधान की मुख्य भूमिका है।

ग्राम प्रधान को सौपे विभागों में मुख्य रूप से निर्माण विभाग, सिचाई एवं स्वास्थ्य,शिक्षा आदि। इस तरह से करीब सत्ताईस विभागों की देख-रेख करेगा। इन सभी विभागों में प्रधान व उप प्रधान की मुख्य भूमिका है लेकिनप्रधान व उप प्रधान उन्हीं लोगों को नियुक्त करेगें जिनका पंजीकरण है। उज्जवल भविष्य की कामना आपके साथ है।

मुख्य क्षेत्रीय प्रबन्धक
ग्रामीण शिक्षित बेरोजगार
पंजीकरण परियोजना
लखनऊ (उ०प्र०)